

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम संकलित है जिसमें (i) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, (ii) भवन निर्माण, (iii) कल्याण, (iv) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, (v) मानव संसाधन विकास, (vi) गृह, (vii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा, (viii) पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल), (ix) पथ निर्माण, (x) ग्रामीण विकास और (xi) ग्रामीण कार्य विभाग शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं, जो वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए हुए नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में जानकारी में आये तथा वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में उजागर हुए, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, वर्ष 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरण आवश्यकतानुरूप जोड़े गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा आयोजित की गई है।